

यह चार्टर
नौवहन बन्धुत्व
के लिए
विश्वव्यापी स्तर की सेवायें उपलब्ध कराने के
प्रति
हमारी वचनबद्धता
की घोषणा है ।

हमारी दूरदर्शिता :

दक्षिणी एशिया में विश्वव्यापी स्तर की सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त प्रमुख पोर्ट बनना ।

हमारा लक्ष्य:

क्षेत्र के आयातकों और निर्यातकों के संभार -तंत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में प्रमुख भागीदार होना ।

हमारी क्षमताएं :

कैंप साइज वाहक तथा सूयेज मेक्स टैंकरों की संभलाई के लिए शांत गहरे जल के घाट ।

सक्षम पोर्ट रेल्वे प्रणाली

सस्ता स्टिवडोरिंग मूल्य

मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध

अनुकूलतम लागत पर गुणवत्ता सेवा

बंगलादेश, मयन्मार, दक्षिण पूर्व एशिया, तथा सुदूरपूर्व एवं यू एस ए / कनाडा के पश्चिमी तट के साथ व्यापार के लिए स्थिति संबंधी लाभ ।

पोर्ट की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा गुणवत्ता नीति :

विशाखपट्टणम पोर्ट समुद्र; रेल तथा सडक से आने वाले माल को शीघ्र, दक्ष और सुरक्षित सेवायें निरंतर एवं त्वरित गति से प्रदान करने के प्रति इस प्रकार से वचनवद्ध है :

- व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरणीय तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन तथा निष्पादन में निरंतर सुधार द्वारा ।
- लागू विधिक आवश्यकताओं तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हुए
- शारिरिक क्षति तथा व्यवसायिक अस्वस्थता को रोकते हुए ।
- अच्छे पर्यावरण उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए पर्यावरण प्रदूषण के निवारण द्वारा ।

- ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना :
- कर्मचारियों तथा पोर्ट उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा गुणवत्ता संबंधी जागरूकता सुनिश्चित करना ।
- जनता, संबंधित व्यक्तियों तथा इच्छुक पार्टियों को यह नीति उपलब्ध कराना ।

हमारे व्यापार के लक्ष्य :

- 200,000 डी डब्ल्यू टी वाहकों को रखने के लिए बाह्य बंदरगाह सुविधाओं का उन्नयन ।
- माल हस्तांतरण प्रणाली को विश्व स्तर के अनुरूप आधुनिक बनाना ।
- पैनामैक्स वाहकों के नौचालन के लिए आंतरिक बंदरगाह में 14 मीटर ड्राफ्ट उपलब्ध कराना ।
- रेल तथा सड़क संबद्धता तथा स्टाक यार्ड सुधार पर विशेष जोर देते हुए संभार - तंत्र का उन्नयन ।
- योजना, ई डी आई, ई-बैंकिंग तथा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के साधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र का विस्तार करना ।

संक्षिप्त विवरण:

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट भारत के पूर्वी तट पर कोलकत्ता एवं चेन्नई के बीच करीब मध्य मार्ग में स्थित विस्तृत पश्च भूमि की सेवा कर रहा है । 7 अक्टूबर 1933 को पोर्ट से समुद्री यातायात शुरू हुआ । पोर्ट में तीन बंदरगाह है अर्थात बाह्य बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह तथा मत्स्य बंदरगाह । बाह्य बंदरगाह में 200 हेक्टर्स विस्तृत जल के साथ 6 घाट हैं तथा आंतरिक बंदरगाह में 100 हेक्टर्स विस्तृत जल के साथ 18 घाट हैं । प्राकृतिक गहरे जल बेसिन्स के साथ समर्पित 17 मीटर्स ड्राफ्ट वाला बाह्य बंदरगाह 150,000 डी डब्ल्यू टी वाहकों को रखने की क्षमता रखता है । 11 मीटर्स ड्राफ्ट वाला आंतरिक बंदरगाह 130 मीटर्स एल ओ ए वाहकों को रखने के लिए सक्षम है ।

पोर्ट महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अंतर्गत नौवहन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिशासित हैं ।

पोर्ट ने वर्ष 2008-09 के दौरान 63.91 मि. टन कार्गो उत्पादन किया । पोर्ट रेल्वे प्रणाली में 12 साइंडिंग्स और 17 ओपन टर्मिनल्स के साथ 200 कि.मी. लंबा ट्रैक है । पोर्ट रेल्वे द्वारा 2008-09 में 33.94 मि.टन कार्गो की रिकार्ड मात्रा का संचालन हुआ ।

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट घाट:

आंतरिक बंदरगाह :

घाट	अनुमेय लोआ (मी)	अनुमेय ड्राफ्ट (मी)	किस्म
पूर्वी क्वे - 1	167.64	10.06	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे - 2	167.64	10.06	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे - 3	167.64	10.06	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे - 4	231.00	10.06	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे - 5	167.64	10.21	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे इ 6	182.90	10.21	बहुप्रयोगी
पूर्वी क्वे - 7	255.00	11.00@	बहुप्रयोगी
रियर एंड डब्ल्यू क्यू-1	170.00	08.00	बहुप्रयोगी
पश्चिमी क्वे इ1	212.00	11.00@	बहुप्रयोगी
पश्चिमी क्वे इ2	226.70	11.00@	बहुप्रयोगी
पश्चिमी क्वे इ3	201.12	11.00@	बहुप्रयोगी
पश्चिमी क्वे इ4	243.00	11.00@	बहुप्रयोगी
पश्चिमी क्वे इ5	241.70	11.00@	बहुप्रयोगी
ऑयल रिफाइनरी वार्फ-1*	183.00	10.06@@	पी ओ एल के लिए कैप्टिव
ऑयल रिफाइनरी वार्फ-2*	183.00	09.75	पी ओ एल के लिए कैप्टिव
उर्वरक घाट	173.13	10.06	उर्वरक के लिए कैप्टिव

@ 0.85 मीटर्स ज्वार पर @@ 0.91 मीटर्स ज्वार पर । दोनों घाटों से किसी एक पर 195 मीटर्स की शर्त पर

बाह्य बंदरगाह :

घाट	अनुमेय लोआ (मी)	अनुमेय ड्राफ्ट (मी)	ज्वार (मी)	किस्म
अयस्क घाट -1	240.00	16.50	0.3	लोहा अयस्क तथा
अयस्क घाट -2	240.00	16.50	0.3	पैल्लेट्स के लिए कैप्टिव
ऑफशोर टैंकर टर्मिनल	378.00	17.00	0.5	क्रूड ऑयल के लिए कैप्टिव
एल पी जी जेड्टी	340.92	13.00		एल पी जी एवं पी ओ एल के लिए कैप्टिव
जनरल कम बल्क कार्गो घाट	326.00	14.50	0.5	100,000 डी डब्ल्यू टी तक बहुप्रयोगी
न्यू आयल मूरिंग	220.00	15.00		यानांतरण प्रचालन

प्राइवेट प्रचालको के घाट:

ईक्यू-8 एवं ईक्यू-9

आंतरिक बंदरगाह में ईक्यू-8 तथा ईक्यू-9, प्रत्येक घाट की लंबाई 255 मीटर्स तथा 0.85 मी. ज्वार पर 11 मीटर्स अनुमेय ड्राफ्ट के साथ बी ओ टी प्रचालकों `` मेसर्स वैजाग सीपोर्ट लि.`` द्वारा परिचालित है । घाटों पर उपलब्ध सुविधाओं में निम्न सुविधाएं शामिल है ।

- 35 सी बी एम ग्रैब्स के साथ तीन हार्बर मोबाइल क्रेन ।

- स्टोरेज क्षमता 200,000 टन के साथ पेवड स्टॉकपाइल क्षेत्र।
- भारी कार्गो अर्थात् लोहा अयस्क, लाइमस्टोन, मैगनीज अयस्क इत्यादि का लदान और निपटारे के लिए हेवि ड्यूटी 15 सी बी एम ग्रेब्स ।
- मोबाइल होप्परस स्टैकर रिकलेमर्स बैल्ट कन्वेर्यस एवं वैगन लोर्डस जैसे बल्क सामग्री संभलाई सिस्टम ।

आगे और विवरण के लिए मेसर्स वैजाग सीपोर्ट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू वैजागसीपोर्ट. कॉम) Is संपर्क किया जाए ।

कंटेनर टर्मिनल:

विशाखपट्टणम पोर्ट के बाह्य बंदरगाह में स्थित 449 मीटर्स लाइनर क्वे तथा 14.5 मीटर्स ड्राफ्ट वाला कंटेनर टर्मिनल 9000 टी ई यू क्षमता के अतिरिक्त बड़े कंटेनर वाहको को भी सीधे बर्थिंग कर सकता है ।

कंटेनर टर्मिनल पर उपलब्ध उपस्कर और सुविधाओं में निम्न शामिल है :

- 2 आर एम क्यू सी और 2 आर टी जी सी
- 4 रीच स्टैकर्स (45 टन क्षमता तथा 10 टन क्षमता)
- 1500 टीयूज ग्रांडड स्लोट्स
- सी वाई के निकट आई सी डी के लिए 2 रेल्वे साइडिंग्स ।
- 132 रीफर पाइन्ट्स
- 5 लाइन का पूर्ण कम्प्यूटराइज्ड गेट काम्पलेक्स
- एक फोर्क लिफ्ट-5 टन क्षमता
- 16 इंटरनल ट्रांसफर गाडियां (आई टी वी)

कंटेनर संभलाई कार्यकलापों को " मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. " को बी ओ टी के आधार पर सौंपा गया है ।

अन्य विवरण के लिए मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू वीसीटीपीएल कॉम) से संपर्क करें ।

अर्पित सेवायें :

पोर्ट अपने प्रचालन में संपूर्ण पारदर्शिता बनाये रखते हुए कम मूल्य पर निम्नलिखित सेवायें देने के लिए वचनबद्ध है :

समुद्री सेवायें :

- हार्बर बेसिन की अपेक्षित गहराई का अनुरक्षण (अनुरोध करने पर नौसेना/तट रक्षक/हिंदुस्तान शिपयार्ड और बी ओ टी बर्थों के लिए निकर्षण सेवाओं की व्यवस्था की जाती हैं)
- वाहकों का पाइलेटज, बर्थिंग/अन बर्थिंग

अनुमेय वाहक का आयाम - आंतरिक बंदरगाह :

(मीटर्स)

विवरण	लोआ	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार
दिन के समय में आगमन/प्रस्थान	पैनामैक्स	32.50	10.80	0.82
	195	32.26	11.00	0.85
रात्री प्रतिबंध				
(क) आगमन	195	32.26	10.10	--
(ख) प्रस्थान	195	32.26	11.00	0.85

रात्रि आगमन:

- (1) 186-195 मीटर्स लोआ अथवा 32.2 मीटर्स से अधिक बीम वाले वाहकों की संभलाई 2 पाइलेट्स करते हैं ।
- (2) गैस टैंकर्स (अमोनिया/एल पी जी) को दिन के समय में बर्थिंग किया जाता है ।

रात्रि प्रस्थान:

- (1) 32 मीटर्स से अधिक बीम वाले वाहकों को रात्रि के समय में नौचालन 2 पाइलेटों द्वारा किया जाता है । कार्गो सहित अमोनिया टैंकर्स वाहकों को रात्री के समय में नौचालन 2 पाइलेटों द्वारा किया जा सकता है ।

अनुमेय वाहक का आयाम- बाह्य बंदरगाह

(मीटर में)

विवरण	लोआ	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार
ओ एस टी टी	280	48.00	17.0	0.5
अयस्क घाट	270	48.00	16.5	0.3
एम पी बी (वी सी टी)	280	42.00	14.5	--
जी सी बी	100,000 डी	डब्ल्यू टी के लिए ही	14.5	0.5
एन ओ एम	250	48.00	15.0	--
एल पी जी	220	42.00	13.0	--

रात्रि आगमन :

1. टैंकर्स 2 पायलेटों द्वारा ओ एस टी टी पर बर्थ किए जाते हैं ।
2. डी डब्ल्यू टी 75,000 और उससे अधिक के वाहकों को ओ बी-1 एवं 2, जी सी बी तथा एल पी जी पर 2 पायलेटों द्वारा बर्थ किया जाता है ।
3. बर्थिंग, डबल बैंकिंग तथा मदर टैंकरों का अन-बर्थिंग एन ओ एम पर केवल दिन के समय ही किया जाता है ।

रात्रि प्रस्थान:

मदर टैंकर एन ओ एम पर केवल दिन के समय पर ही संभलाई किया जाता है ।

फ्लोटिला :

नौवहन संचालन काम के लगने के लिए 5 शिपिंग टग्स (50 ट. क्षमता - 2, 30 ट. क्षमता- 3) उपलब्ध हैं । 500 मी 3 होप्पर क्षमता की एक ग्रेब होप्पर ड्रेजर सागर दुर्गा को 0600 बजे से 2200 बजे तक पोर्ट जल का अनुरक्षण करने के लिए नियोजित किया गया । **समुद्री** सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए उप संरक्षक से संपर्क किया जाए ।

कार्गो संभलाई :

प्रथमतः आने वाले को प्रथम सेवा के आधार पर घाटों का पारदर्शी आबंटन ।

प्राथमिकता /प्राथमिकता से परे प्राथमिकता के क्रमानुसार विवरण निम्नानुसार हैं :-

- यात्री वाहक की बर्थिंग प्राथमिकता/ प्राथमिकता से परे की जाएगी ।
- वाहक जिनका लदान/उतराई प्रचालन 24 घंटे के भीतर पूरा हो ।
- वाहक जिनका लदान/उतराई प्रचालन 48 घंटे के भीतर पूरा हो ।
- "लाइनर टर्मस" के अंतर्गत आनेवाले वाहक ।
- मेसर्स जी एफ सी एल को प्रेषित फास्फोरिक अम्ल वाहकों को ईक्यू-6 / ई क्यू-7 पर प्राथमिकता से परे बर्थिंग करने की सुविधा दी जाती है ।
- मेसर्स नाल्को के लिए कास्टिक सोडा उतारने और अमोनिया पाउडर लदान करने के लिए आये वाहकों को प्राथमिकता से परे डब्ल्यू क्यू-5 घाट पर बर्थिंग किया जाता है ।
- जिन कार्गो के लिए सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किये गये, उन्हें (तटीय वाहक, कच्चा उर्वरक, शक्कर आदि) प्राथमिकता से परे / प्राथमिकता दी गयी । यांत्रिकी पद्धति द्वारा लदान किये गये लोहा अयस्क पैलेट्स को छोड़कर सभी तरह के तटीय वाहकों को बर्थिंग के लिए सुविधा का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया गया ।

निम्न के आगमन क्रमानुसार प्राथमिकता के लिए एक घाट आबंटित किया गया है :-

(क) कच्चा उर्वरक

(ख) खाद्यान्न सहित शक्कर और केयर प्रेषण

(ग) स्टील निर्यात

(घ) उपर्युक्त से भिन्न अन्य निर्यात कार्गो

(च) उपर्युक्त से भिन्न अन्य आयात कार्गो

- लोहा अयस्क/पैलेट्स वाहक 75,000 डी डब्ल्यू टी और उससे अधिक - को पूरी मात्रा के लदान की शर्त पर अयस्क घाट पर यांत्रिकी लदान के लिए प्राथमिकता ।
- निर्यातकों/आयातकों के वाहकों को, जिन्होंने पिछले वर्ष में एक मिलियन टन कार्गो की संभलाई की थी, और अब भी कार्य कर रहे उनके वाहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राथमिकता दी जाएगी ।

कार्गो संभलाई सेवाये निम्नलिखित प्रतिबद्धता के साथ दी जाती हैं ।

कार्यकलाप	बेंचमार्क
कार्गो संभलाई उपकरण की आपूर्ति	अपेक्षित शिफ्ट शुरू होने से 30 मिनट में
श्रमिकों की आपूर्ति	अपेक्षित शिफ्ट शुरू होने से 30 मिनट में
वाहक से उतारे गये माल को भेजना	वाहन की बर्थिंग तारीख से 15 दिनों के अंदर
उपकरण प्रभारों के लिए बिल देना	सेवा देने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर
कार्यकलाप	बेंचमार्क
विलंब शुल्क का निर्धारण	कार्गो की सुपुर्दगी/नौभरण से 5 कार्य दिवस के अंदर

कार्यकलाप	बेंचमार्क
नये स्टिवडोरिंग लाइसेंस जारी करना/नया बनाना	सभी तत्संबंधी प्रलेख प्रस्तुत करने के बाद 15 दिन के अंदर
चांडलिंग, जहाज मरम्मत, व्यावसायिक जैसे अन्य लाइसेंस जारी करना ।	सभी तत्संबंधी प्रलेख प्रस्तुत करने के बाद 15 दिन के अंदर
व्यक्तियों माल तथा वाहकों के लिए प्रवेश पास जारी करना	3 कार्य दिवसों के अंदर

कार्गो संभलाई उपकरण:-

उपकरण आबंटन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. वैजागपोर्ट.कॉम / क्रेन्स.पी डी एफ) यातायात विभाग के डॉक निरीक्षक (जी) को मांग पत्र देना होगा । निम्नलिखित कार्गो संभलाई उपकरणों से पोर्ट सज्जित है :

उपकरण की किस्म	उपलब्ध संख्या
हार्बर मोबाइल क्रेन्स -130 ट. रेटेड क्षमता	2
विद्युत वार्फ क्रेन्स -10 ट. क्षमता	10
विद्युत वार्फ क्रेन्स -15 ट. क्षमता	10
विद्युत वार्फ क्रेन्स -20 ट. क्षमता	4
फ्लोटिंग क्रेन्स (भीमा) - 140 ट.क्षमता	1
फ्लोटिंग क्रेन्स (हनुमान) - 55 ट.क्षमता	1
हार्बर मोबाइल क्रेन्स -104 ट. क्षमता	3
लोकोमोटिव्स - 1400 एच पी	9
लोकोमोटिव्स - 1430 एच पी	7
लोकोमोटिव्स - 3100 एच पी	2

* बी ओ टी आपरेटरों के साथ

कार्गो संभलाई कार्यकलापों के बारे में यातायात प्रबंधक से संपर्क किया जाए ।

अयस्क संभलाई संयंत्र द्वारा लोहा अयस्क तथा पल्लेट्स की यांत्रिक टिप्पलिंग, स्टैकिंग तथा लदान :

अयस्क संभलाई संकुल में 2 सिस्टम है; अर्थात रिसीविंग सिस्टम और शिपिंग सिस्टम । रिसीविंग सिस्टम (अयस्क तथा स्टैक पाइलिंग की प्राप्ति) में निम्नलिखित होते हैं -

क्रम सं	उपकरण का नाम	क्षमता
1	टिवन वैगन टिप्पलर (रोटोर टाइप, ईस्ट एवं वेस्ट टिप्पलर)	क) प्रतिघंटा 27 टिप्स ख) कुल भार 120 टन ग) टिप ऍंगल- 140 डिग्री (अधिकतम)
2	तीसरा वैगन टिप्पलर (रोटरी टाइप)	क) प्रतिघंटा 30 टिप्स ख) कुल भार 120 टन ग) टिप ऍंगल- 160 डिग्री (अधिकतम)
3	स्टैकर-I (एम ए एम सी मैक)	क) 2700 टी पी एच
4	स्टैकर-III (थैसिन क्रुप)	क) 2700 टी पी एच
5	7 लाकोमोटिव इंजन्स	क) प्रति 1350 एच पी
6	ओमेगा क्रेन	क) 40 टन

स्टॉक पाइल क्षमता :

क) 12 लाख मि.टन्स (पूर्व,मध्य,पश्च, पश्चिमी प्लाट का पश्च)

वि पी टी स्टैकरों द्वारा पाइलड स्टैक

ख) 6 लाख मी.ट. (विशेष रूप से एस्सार पल्लेट्स के लिए मेसर्स एस्सार का प्लाट 5 और प्लाट 6)

शिपिंग सिस्टम (स्टाक पाइल से लोहा अयस्क तथा पल्लेट्स का शिपमेंट) में निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	उपकरण का नाम और बनावट	क्षमता
1)	रिक्लेमर II (एम ए एम सी बनावट)	4000 टी पी एच
2)	रिक्लेमर III (एलकॉन बनावट)	4000 टी पी एच
3)	रिक्लेमर IV (एल एंड टी बनावट)	4000 टी पी एच
4)	शिप लोडर (आइ एच आई, जापान)	8000 टी पी एच

लोहा अयस्क तथा लोहा पल्लेट्स की टिप्लिंग, स्टैकिंग तथा लदान के लिए यांत्रिक संभलाई की सुविधायें निम्नलिखित प्रतिबद्धता के साथ :-

- रैकों की प्राप्ति, टिप्ल तथा वापसी 7 1/2 घंटे के अंदर, रैकों का आगमन एक घंटे के अंतराल की शर्त पर ।

- विविध साइजों के वाहक के लिए निम्नलिखित लदान दरों की व्यवस्था करना।

(टनों में)

पर्सनल साइज	लदान की दर *
30,000 तक	24,500
30-40,000 तक	26,000
40-75,000 तक	37,500
75,000 से अधिक	50,000

* कार्गो गुणवत्ता और विनिर्देशन के अनुपालन की शर्त पर ।

यांत्रिक लोहा अयस्क संभलाई सुविधाओं से संबंधित विषयों के लिए मुख्य यांत्रिक अभियंता से संपर्क किया जाए ।

ड्राई डॉक सुविधाएं :

पोर्ट में निम्नलिखित 2 ड्राई डॉकस उपलब्ध हैं :-

विवरण	ओ आर एस ड्राई डॉक	म.ब. ड्राई डॉक
लंबाई मीटरों में	140.00	65.00
चौड़ाई मीटरों में	18.28	21.00
गहराई मीटरों में	5.60	6.00

ड्राई डॉक में वाहकों /क्राफ्टों की मरम्मत ग्राहकों की सहमति के अनुसार समय के भीतर तथा पोर्ट के कार्य के लिए कार्य के आधार पर सेवा प्रवृत्ति के अनुसार की जाती हैं ।

ड्राई डॉक सुविधाओं से संबंधित मामलों के लिए मुख्य यांत्रिक अभियंता से संपर्क किया जाए ।

जमीन आबंटन:

सीमाशुल्क परिधि के भीतर जमीन का आबंटन, लाइसेंस के आधार पर केवल पोर्ट परिचालन से संबंधित कार्यों के लिए ही दिया जाएगा ।

सीमाशुल्क क्षेत्र से बाहर की जमीन का आबंटन, लागू जमीन नीति के आधार पर लाइसेंस अथवा पट्टे के आधार पर किया जा सकता है ।

साप्ताहिकी लाइसेंस के आधार पर लघु अवधि के लिए जमीन आबंटन से संबंधित मामलों के लिए यातायात प्रबंधक से संपर्क किया जाए ।

लंबी पट्टा अवधि के आधार पर जमीन आबंटन से संबंधित मामलों के लिए मुख्य अभियंता से संपर्क किया जाए ।

सिविल संरचनाएं, सडकें, ब्रिज (पुल); नालों इत्यादि का अनुरक्षण :

कार्गों का संचालन बिना रोक टोक के लगातार होता रहे इसके लिए जेट्टियों; घाटों, गोदाम घरों, भवनों, ब्रिजों (सेतुओं), सडकों तथा नालों, ब्रेक वाटर्स, रेल्वे ट्रेकों इत्यादि का निर्माण तथा नियमित अनुरक्षण किया जाता है।

सडकें , सेतुओं (ब्रिज्स) नालों आदि की सिविल संरचना से संबंधित मामलों के लिए मुख्य अभियंता से संपर्क किया जाए।

पर्यावरण प्रबंधन:

पोर्ट आई एस ओ 14001-2004 की अपेक्षाओं के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । धूलि, जल, ध्वनि/शोर तथा भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए किये गये उपाय:-

- बंदरगाह के जलों का अनुरक्षण सी पी सी बी (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद) मानकों के अनुसार किया जाता है।
- ओ आर-1 तथा ओ आर-2 पर बर्थ किये गये टैंकरों के लिए, प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण अर्थात - ऑयल बूम आदि की व्यवस्था ।
- ए पी पी सी बी के अनुसार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना ।
- वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को कम करना ।
- परिस्थिति संतुलन को बनाये रखने के लिए हरित पट्टी का विकास ।
- सडकों को साफ करना ।
- भारी कार्गों वाहकों के संचालन के लिए सडकों को चौड़ा करना और उन पर फर्श बिछाना ।
- टाउनशिप से जाने वाली कन्वेयर को ढकना ।

पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित मामलों के लिए मुख्य अभियंता से संपर्क किया जाए ।

जलापूर्ति:

ओ आर-1 तथा ओ आर-2 घाटों पर मांग के अनुसार तटीय पाइप लाइनों द्वारा तथा वी.पी.टी बार्ज/लाइसेंसड बार्ज/पोर्ट द्वारा लाइसेंसड रोड टैंकर्स आदि द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति की जाती है । वाहकों को प्रथम आये को प्रथम सेवा के आधार पर नौचालन के क्रम की प्राथमिकता से जल की आपूर्ति की जाएगी ।

वाहकों को जलापूर्ति की मांग उप संरक्षक को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

बंकर सप्लाई:

पोर्ट द्वारा लाइसेंस किये गये बंकर बार्जेस बंदरगाह तथा लंगर दोनों जगहों पर उपलब्ध हैं । बंकरों की सप्लाई प्रथम आने वाले को प्रथम सेवा के आधार पर, वाहकों के नौचालन के क्रम की प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी ।

वाहकों को बंकरों की आपूर्ति के लिए यातायात प्रबंधक को मांग प्रस्तुत करना होगा ।

अन्य सुविधाएं :-

यात्रियों को पोत पर चढाना और उतारना तथा यात्री टर्मिनल से जुड़ी सेवा संबंधी ।

वाहकों से कूडाककट एकत्र करना, जहाज के मालिक के अनुरोध के अनुसार, लाइसेंस धारी फर्मों द्वारा किया जाता है ।

बेकार ऑयल और अशुद्ध ऑयल लाइसेंसधारी फर्मों द्वारा बार्जों टैंकरों से एकत्र करना ।

अन्य क्रियाकलापों से संबंधित विषयों के लिए यातायात प्रबंधक से संपर्क करें ।

अग्नि-शमन:-

अग्नि शमन सेवा अनुभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में ये शामिल हैं :-

- पोर्ट की अग्नि शमन अपेक्षाएं
- खतरनाक कार्गो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सलफ्यूरिक एसिड, एल पी जी आदि की संभलाई करते समय सहायार्थ व्यवस्था ।
- बड़ी आपदाओं के समय में आ.प्र. अग्निशमन सेवा तथा अन्य कंपनियों की सहायता करना ।
- आपदाओं के समय में बचाव कार्य ।
- विविध प्रकार के अग्नि शमकों के उपयोग पर कर्मचारियों को जागरूक करना ।
- आग लगने का समाचार पाने के 30 सेकेंड्स के अंदर फायर टैंकर्स को चलाना ।

एक फायर फ्लोट (अग्नि श्रेणी-1) 32.9 मीटर्स लोआ, उपलब्ध है ।

अग्निशमन सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए उप संरक्षक से संपर्क किया जाए ।

सुरक्षा संरक्षण:

पोर्ट, आई एस पी एस का पालनकर्ता है । पदनामित पी एफ एस ओ उप-संरक्षक हैं ।

प्रशुल्क :

पोर्ट द्वारा दी गयी सेवायें, (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. वैजागपोर्ट/ड्राफ्टसोर.पी डी एफ) टैम्प द्वारा (महा पत्तनों के लिए प्रशुक प्राधिकारी) समय समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभारित की जाती है ।

सभाभवन तथा कल्याण मंडपम एवं वाकर पासेस :

नेहरू प्लेस में सभाभवन (आडिटोरियम) तथा कल्याणमंडपम की बुकिंग तथा वाकर्स के लिए पासेस जारी करना विधमान है । बुकिंग/आबंटन के लिए आवेदन विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के सचिव को भेजी जाए। आबंटन की प्रक्रिया तथा प्रशुल्क अनुलग्नक - I में दिया गया है ।

शिकायत निवारण तंत्र :

कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेन्स लोजिंग तथा मानिट्रिंग सिस्टम (सी पी ग्रामस) मंत्रालय/विभागों/भारत सरकार के संगठनों के लिए, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एच टी टी पी/ /पी जी पोर्टल गोव-इन पर उपलब्ध कराया गया है ।

संगठन के कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायत को निपटाने के लिए पोर्ट की एक प्रभावी शिकायत क्रिया विधि है । विविध स्तरों पर शिकायत प्रस्तुत करने तथा शिकायत निपटाने का समय निर्धारण निम्नानुसार है ।

- व्यथित कर्मचारी को अपनी शिकायत व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में विभागाध्यक्ष द्वारा पदनामित अनुभाग अधिकारी को देनी होगी । अधिकारी द्वारा 3 दिनों के अंदर समाधान दिया जाएगा ।
- निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर / समाधान नहीं प्राप्त होने पर, वह कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या किसी सह कर्मचारी को लेकर निर्धारित समय के दौरान विभागाध्यक्ष को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है । विभागाध्यक्ष 7 दिनों के अंदर समाधान देगा । निर्धारित अवधि में समाधान नहीं देने पर विलंब के कारणों को रिकार्ड किया जाएगा ।
- यदि विभागाध्यक्ष का निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो कर्मचारी अपना प्रतिवेदन आवश्यक होने पर यूनियन प्रतिनिधि की सहायता से कार्मिक अधिकारी के माध्यम से उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है । का. अ. उस पर कार्य करते हुए मामले को एक सप्ताह में उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा । उपाध्यक्ष का निर्णय कर्मचारी को 15 दिन के अंदर सूचित कर दिया जायेगा ।

- एक स्टेज से अन्य स्टेज के अंदर एक अपील तैयार करने की समय सीमा 3 दिन है (सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर)
- किसी शिकायत को विवाद के रूप में तब माना जाएगा जब कार्मिक अधिकारी के माध्यम से शिकायत के प्रति उपाध्यक्ष का अंतिम निर्णय कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, उसके बाद ही मामले को केवल यूनियन उठा सकती है ।
- किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के कारण उत्पन्न किसी शिकायत के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी तथा कर्मचारी को ऐसे दंड के विरुद्ध केवल कानूनी नियमों के अंतर्गत अपील करने का अधिकार होगा ।

महत्वपूर्ण संपर्क सूची:

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	विभाग	संपर्क	विषय
1	श्री के.वी.गुप्ता वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	लेखा	2873500 9849608185	वित्त
2	श्री जी एस एस कुमार वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	लेखा	2873222 9948883280	रोकड़ प्रबंधन, बिलों का भुगतान एवं स्थापना मामले
3	श्री ए रामकृष्णा वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सी पी ई एन जी आर ए एम एस के नोडल अधिकारी	लेखा	2873228 9948883278	पेंशन एवं वार्षिक लेखा
4	श्री के.एस.डी.दत्तुराजु यातायात प्रबंधक	यातायात	2873900 9848159403	कार्गो संभलाई, मत्सय बंदरगाह, पोर्ट रेल्वे, यात्री सेवाये, जमीन आबंटन, बंकर्स, पासेस जारी करना
5	श्री बी. विजय सागर गोदी प्रबंधक	यातायात	2873706 9848197596	कार्गो संभलाई प्रभाग के श्रमिकों का जहाज पर तथा तट पर कार्गो संभलाई प्रचालन ।
6	डॉ. के.सत्यनारायण राव डॉक प्रबंधक	यातायात	2873707 9848017428	रेल्वे प्रचालन एवं रेल्वे वाणिज्य
7	श्री जी.जे.डी.वंदनम गोदी प्रबंधक तथा नागरिक चार्टर तथा सूचना सुसाध्य काउंटर का नोडल अधिकारी	यातायात	2873713 9848185846	शिपिंग प्रचालन तंत्रभार, कार्गो संभलाई, यात्री सेवाये, जमीन आबंटन, बंकर्स ।
8	कप्तान एस. माथुर, उप संरक्षक तथा पी एफ एस ओ	समुद्री	2875500 9848190796	समुद्री सेवाये
9	कप्तान वी. राम प्रसाद हार्बर मास्टर	समुद्री	2875503 9848029484	समुद्री सेवाये
10	श्री के. रामचन्द्र राव मुख्य अभियंता	सिविल इंजनीयरिंग	2565289 9848190797	सिविल संरचनाओं, पर्यावरण विषयों का अनुरक्षण

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	विभाग	संपर्क	विषय
11	श्री डी.एस.एन.राजु उप मुख्य अभियंता	सिविल इंजनीयरिंग	2873344 9948298319	रेल्वे पर्यावरण, अनुरक्षण, समुद्र कार्य एवं विशेष कार्य
12	श्रीमति ए विजय कुमारी उप मुख्य अभियंता	सिविल इंजनीयरिंग	2873335 9948298320	सिविल वर्कस, प्रोजेक्टस, डिजायन, प्ला निंग का अनुरक्षण, ठेका, क्रय एवं संपदा
13	श्री एस.एफ.मुमर्फड मुख्य यांत्रिक अभियंता तथा मुख्य सामग्री प्रबंधक प्रभारी	यांत्रिक इंजनीयरिंग तथा सामग्री प्रबंधन	2873400 9848121895	अयस्क संभलाई संकुल, मालसंभलाई उपकरण, यांत्रिकी इंजनीयरिंग, ड्राई डॉक
14	श्री के.आर. सुधाकर उप मुख्य अभियंता	यांत्रिक इंजनीयरिंग	2873209 9848197593	यांत्रिक इंजनीयरिंग
15	श्री. के. वेंकटराव, संयत्र प्रबंधक	यांत्रिक इंजनीयरिंग	2875804 9948298301	अयस्क संभलाई संकुल
16	श्रीमति वाई.जयंति निदेशक (अ एवं यो) प्रभारी	अनुसंधान एवं योजना	2873200 9848029480	सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान अध्ययन, एम आइ एस
17	श्री के राजेंद्र कुमार उप निदेशक (आई टी एस)	अनुसंधान एवं योजना	2873422 9948883272	सूचना प्रौद्योगिकी
18	श्री डी. नरेश कुमार सचिव	प्रशासनिक एवं कार्मिक	2873800 9848194119	कार्मिक आडिटोरियम, कल्याण मंडपम
19	श्री टी. वेणुगोपाल कार्मिक अधिकारी तथा सी पी जी आर ए.एम.एस के नोडल अधिकारी	कार्मिक	2873133 9849609657	लोक शिकायत निवारण
20	श्री प्रबोध चन्द्र कमांडेंट के.औ.सु.बल	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2566520 9848190120	औद्योगिक सुरक्षा

आबंटन प्रक्रिया तथा दर सूची

कलावाणी आडिटोरियम (कलाज्योति सहित) आबंटन की प्रक्रिया	वि.पो.द्र तथा डॉ.ले बो कर्मचारी समारोहों के लिए (6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक) 3 महीने पहले बुकिंग चाहूँ	सेवानिवृति कर्मचारी	बाहर व्यक्ति
दरसूची			
किराया प्रभार	रु.10,000/-	रु.17,500/-	8 घंटे तक 12 घंटे तक एक दिन रु.15,000/- रु.27,000/- रु.35,000/-
जमानत राशि	रु.25,000/-	रु.30,000/-	रु.25,000/- रु.30,000/-
अनुरक्षण प्रभार	रु.1,000/-	रु.1,000/-	रु.1,000/-
कलाज्योति ओपन एयर आडिटोरियम	वि.पो.द्र तथा डॉ.ले बो कर्मचारी	बाहर व्यक्ति	
किराया प्रभार	रु.1,000/-	रु.2,000/-	
जमानत राशि	रु.1,000/-	रु.10,000/-	
अनुरक्षण प्रभार	रु.1,000/-	रु.1,000/-	
राजीवगांधी इंडोर स्टेडियम	स्पोर्ट्स (ए सी से)	स्पोर्ट्स (बगैर ए सी)	बेटक तथा सांस्कृति कार्यक्रमों के लिए
भाडा प्रभार	रु.7,500/-	रु.30,000/-	रु.50,000/-
अनुरक्षण प्रभार	रु.1,000/-	रु.1,000/-	रु.50,000/-
जमानत राशि	रु.10,000/-	रु.40,000/-	रु.5,000/-
विद्युत, जल	वास्तविक प्रभार	वास्तविक प्रभार	वास्तविक प्रभार
डायमंड जुबली आउटडोर स्टेडियम	बाहर के व्यक्तियों को खेल कूद कलापों के लिए	फिल्म शूटिंग / टी वी शूटिंग	
भाडा प्रभार	रु.2,000/-	रु.50,000/-	
जमानत राशि	रु.2,000/-	रु.50,000/-	
अनुरक्षण	रु.1,000/-	रु.5,000/-	

<p>एस जी पुरम प्ले ग्राउंड</p> <p>- रु.100/- बाहर के व्यक्तियों को एक दिन के लिए</p>		
<p>नेहरू प्लेस के लिए वाकर पार्सेस</p>	<p>रु.10/- कर्मचारी के आश्रितों को जीवनकाल में एक बार</p> <p>रु.60/- बाहरी के व्यक्तियों को 3 महीने के लिए</p> <p>रु.50/- 65 वर्ष से अधिक वृद्ध नागरिकों के एक वर्ष के लिए</p> <p>रु.50/- खिलाड़ियों को एक वर्ष के लिए</p>	
<p>श्री सीताराम कल्याण मंडपम</p> <p>आबंटन प्रक्रिया</p> <p>भाडा प्रभार</p> <p>जमानत राशि</p> <p>विद्युत जल तथा गैस भाडा प्रभारों पर सेवाकर</p>	<p>पोर्ट/डी एल बी कर्मचारी (स्वयं एवं आश्रित बच्चे)</p> <p>6 महीने पहले बुकिंग की अनुमति</p> <p>रु.1250/-</p> <p>रु.7,000/-</p> <p>वास्तविकता</p> <p>12.36%</p>	<p>अन्य</p> <p>2 अन्य महीने पहले बुकिंग की अनुमति</p> <p>रु.10,000/-</p> <p>रु.10,000/-</p> <p>वास्तविकता</p> <p>12.36%</p>
<p>सागरी ओपन एयर थियेटर</p> <p>भाडा प्रभार</p> <p>जमानत राशि</p> <p>विद्युत</p>	<p>पोर्ट/डी एल बी कर्मचारी (स्वयं एवं आश्रित बच्चे)</p> <p>6 महीने पहले बुकिंग की अनुमति</p> <p>रु.625/-</p> <p>रु.1,000/-</p> <p>वास्तविकता</p>	<p>अन्य</p> <p>2 महीने पहले बुकिंग की अनुमति है (किसी पार्टी द्वारा सीताराम कल्याण मंडपम, बुक किये जाने की तारीख पर सागरी ओपन एयर थियेटर की बुकिंग करने की अनुमति नहीं है। फिर भी आपत्काल के मामले में बुक की गई पार्टी की सहमति पर आबंटन किया जा सकता है।</p> <p>रु.625/-</p> <p>रु.1,000/-</p> <p>वास्तविकता</p>